न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक / वि.अ. / 11 / 17 / भीलवाड़ा

विभागीय अपील द्वारा श्री रामचन्द्र कोली कनिष्ठ लिपिक तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर, भीलवाड़ा दिनांक 20–06–2000

उपस्थितः– श्री रामचन्द्र कोली कनिष्ठ लिपिक तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा।

निर्णय

दिनांकः– 11.4.2018

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 20–06–2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए उनके नाम दिनांक 1–10–97 को एक ज्ञापन जारी किया गया। इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गयेः–

आरोप संख्या एक :–

यह है कि आप दिनांक 27–2–97 से 3–3–97 तक 5 दिन, दिनांक 10–3–97 से 11–5–97 तक 63 दिन, दिनांक 15–5–97 से 21–5–97 तक 7 दिन, दिनांक 9–6–97 से 11–6–97 तक 3 दिन एवं दिनांक 20–6–97 से निरन्तर बिना अवकाश स्वीकृत कराये एवं बिना अवकाश आवेदन किये जानबूझकर कर्तव्य से अनुपस्थित है। इस संबंध में तहसीलदार, बनेड़ा ने दिनांक 23–4–97 एवं 7–7–97 से आपको कारण बताओं नोटिस दिया गया। उक्त नोटिस से आप सूचित होते हुए भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कराया गया। इस प्रकार आपका उक्त कृत्य के प्रति गम्भीर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता का होकर राजस्थान सेवा नियमों के नियम–86 के तहत दण्डनीय है।''

अपीलान्ट को 15 दिवस के अन्दर लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इन्होंने निर्धारित अवधि में लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर

लगाये गये आरोप से असहमति व्यक्त की। इसलिए जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने अपीलान्ट को पर्याप्त व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया। इस पेशी पर अपचारी कार्मिक उपस्थित हुए। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा अपचारी कार्मिक को सुनने के पश्चात दिनांक 20–06–2000 को आदेश पारित किया जिसमें अपीलान्ट को उक्त प्रकरण में विभागीय जांच में पारित किये गये आरोप पूर्णतया सिद्ध हुए है। उक्त सिद्ध आरोप के लिए अपचारी कर्मचारी की पूर्व की सेवाएं जप्त (फोरफिट) की गई। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के उक्त दण्डादेश को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज की जाकर अपीलान्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा जिला कलक्टर, भीलवाड़ा का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपीलान्ट को व्यक्तिशः सुना गया इनका कथन है कि जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–06–2000 विधिविरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अपचारी कर्मचारी ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलांट के विरूद्ध आरोप पारित किये जाने के समय अपीलांट गम्भीर रूप से अस्वस्थ था फिर भी अपीलांट ने आरोप पत्र प्राप्त किये एवं जांच से संबंधित अभिलेख का अवलोकन कराये जाने हेतु एक आवेदन अनुशासनिक अधिकारी पदेन जिला कलक्टर भीलवाड़ा को अपने कार्यालयध्यक्ष तहसीलदार, बनेड़ा के जरिये भिजवाया तथा अपीलाट की अनुपस्थिति के दौरान अपीलांट की अनुपस्थिति के संबंध में जो भी पत्र व्यवहार तहसीलदार बनेड़ा एवं जिला कलक्टर भीलवाड़ा के मध्य हुआ उसकी प्रमाणित प्रतिया चाही गई जो अपीलांट को उपलब्ध नहीं कराई गई एवं न ही अपीलांट को कोई अभिलेख का अवलोकन कराया गया। राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) में यह प्रावधान किया हुआ है कि अपचारी कर्मचारी को उसके द्वारा वांछित दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराई जावे एवं अभिलेख का अवलोकन कराया जावे किन्तु ऐसी किसी प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो अपास्त किये जाने योग्य है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जांच अधिकारी ने अपीलांट को अपने बचाव का काई युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया एवं मनमकसूद रूप से जांच कार्यवाही मात्र 40 दिन में कर अपना जांच प्रतिवेदन जिला कलक्टर भीलवाड़ा को प्रेषित कर दिया। अनुशासनिक अधिकारी ने अपीलांट को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 (10) के अधीन अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए अपीलांट की पूर्व की सेवाएं जब्त (फोरफिट) कर दी गई जो विधिविरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

उन्होंने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह भी कथन किया कि अपीलांट ने जिला कलक्टर को पत्र लिखकर आरोप से संबंधित दस्तावेजों की प्रतिया चाही गई किन्तु उनके द्वारा अपीलांट को आरोपों का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने से महरूम रखा गया। उन्होंने ए.आई.आर 1970 (एस.सी.)पृष्ठ 580, एस.एल.आर. 1969 पृष्ठ 667 का हवाला देते हुए कथन किया कि इस नजीर में इस प्रकार के नियम विरूद्ध आदेश को निरस्त कर प्रकरण को समाप्त करने के निर्देश दिये गये है। सी.सी.ए. नियम 16(4) में यह व्यवस्था है कि बचाव में लिखित अभिकथन प्राप्त होने पर अनुशासनिक अधिकारी उसका अवलोकन करेगा और उक्त कथन से सन्तुष्ट न होने पर वे इस मामलें की विस्तृत जांच कराएगा। अनुशासनिक अधिकारी द्वारा उक्त नियम की पालना नहीं की गई। उन्होंने उक्त प्रकरण में ए. आई.आर. 1955 एस.सी. पृष्ठ 160, ए.आई.आर. 1958 एस.सी. पृष्ठ 300, ए.आई. आर 1970 केरल पृष्ठ 65 की रूलिंग्स का हवाला देते हुए निवेदन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा ऐसे उक्त आदेश को नियम विरूद्ध मानकर निरस्त करने के आदेश दिये गये है।

उन्होंने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह भी कथन किया कि जांच अधिकारी ने जांच के दौरान सरकारी पक्ष की ओर से पेश होने वाले गवाहों की सूची व दस्तावेजों की प्रतियां नहीं दिलवाई न ही दस्तावेजों पर स्वीकृति/अस्वीकृति ही अंकित कराई। अपीलांट दिनांक 1–10–2001 को निश्चित तारीख पेशी पर उपस्थित हुआ। अपीलांट के सामने ही सरकारी पेरोकार ने सरकार की ओर से प्रस्तुत होने वाले गवाहों की सूची पेश की परन्तु जांच अधिकारी ने इस गवाहों की सूची अपीलांट को नहीं दिलवाई। सीसीए नियम 16(6)(क) में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि सरकारी पक्ष के गवाहों की सूची प्रस्तुत होने पर इसकी प्रति बचाव पक्ष (अपचारी) को देनी होगी। यह आज्ञापक नियम है। जांच अधिकारी ने आज्ञापक नियमों की पालना नहीं कर जांच रिपोर्ट पेश की जो नियम विरूद्ध है। उक्त कथन के समर्थन में उनके द्वारा ए.आई.आर 1974 एस.सी. पृष्ठ 2335, डब्लयू.एल.एन. 1978 एस.सी. पृष्ठ 189 एवं ए.आई.आर. 1983 एस.सी. पृष्ठ 937 की रूलिंग्स का हवाला दिया।

उन्होंने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह भी कथन किया कि जांच अधिकारी ने दिनांक 1–10–2001 को आर्डर शीट के हाशिये पर हस्ताक्षर करवा लिये किन्तु आर्डरशीट नहीं लिखी गई। अपीलांट को नवम्बर 2001 में तारीख दी गई परनतु जांच अधिकारी ने येन–केन प्रकारेण कुछ दिन पश्चात ही सरकारी पक्ष के गवाह श्री राजेन्द्र प्रसाद छीपा व तहसीलदार बनेड़ा के बयान करवा लिये। जांच अधिकारी ने सोची समझी रणनीति के तहत अपीलार्थी का दोषी मानकर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। श्रीमान् जांच रिपोर्ट को अवलोकन करेंगे तो पायेगे

कि जांच अधिकारी ने आरोपों को प्रमाणित मानने के कोई कारण अंकित नहीं किये है। केवल यह अंकित किया है कि आरोप प्रमाणित हुए है। इस प्रकार जल्दबाजी एवं अधूरी जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर दिया गया दण्डादेश निरस्तनीय है।

उन्होंने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह भी कथन किया कि दिनांक 27–2–97 से 3–3–97 तक 5 दिन, दिनांक 10–3–97 से 11–5–97 तक 63 दिन, दिनांक 15–5–97 से 21–5–97 तक 7 दिन, दिनांक 9–6–97 से 11–6–97 तक 3 दिन एवं दिनांक 20–6–97 से निरन्तर बिना अवकाश स्वीकृत कराये एवं बिना अवकाश आवेदन किये जानबूझकर कर्तव्य से अनुपस्थित रहने का अरोप है। इस बारे में कथन है कि वह प्रार्थना पत्र तहसीलदार की अनुपस्थिति में तहसील के मंत्रालयिक कर्मचारी के इन्चार्ज रीडर को देकर गया था। अपीलांट की तबीयत खराब होने से वह कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सका। अपीलांट के घर वाले रूढ़ीवादी प्रथा के होने के कारण अपीलांट को बताया गया कि उसे ऊपर की हवा लग गई है और वह नियमित रूप से झाडफूंक करवाता रहा। अपीलांट के खाते में अवकाश शेष था। यदि अवकाश शेष नहीं था तो अपीलांट को अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता था। अपीलांट को अधिक से अधिक दण्ड दिया गया है। जबकि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 86 के अधीन असाधारण अवकाश स्वीकृत करने का प्रावधान है एवं यदि अपीलार्थी को वृहद दण्ड ही दिया जाना था तो राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 14 के तहत अनुपातिक पेंशन पर भी सेवानिवृत किया जा सकता था क्योंकि अपीलांट की राजकीय सेवाएं 20 वर्ष से अधिक हो चुकी थी। परन्तु जिला कलक्टर भीलवाड़ा ने अपीलांट को कठोर दण्ड देकर नियमों की अवहेलना की गई है।

उन्होंने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह भी कथन किया कि गबन एवं रिश्वत के मामलों में राज्य सेवा से पृथक किये जाने की व्यवस्था है। अपीलांट के विरूद्ध कोई गम्भीर आरोप नहीं है। उसके विरूद्ध मात्र बिना अवकाश स्वीकृत कराये कर्तव्य से अनुपस्थित रहने का अरोप है। अपीलांट के परिवार में वह अकेला कमाने वाला है। अपीलांट के वृद्ध माता पिता व दो भाई भी अपीलांट पर ही निर्भर है। उन्होंने आर.एम.परमार बनाम गुजरात विद्युत बोर्ड 1982 (लेब.आई.सी) 1031 (गुज.) माननीय उच्चतम न्यायालय की रूलिंग्स का हवाला देते हुए कथन किया कि अपीलांट को दिया गया दण्ड बहुत अधिक है। अतः उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 20–6–2000 को निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पर जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पैरावाईज टिप्पणी प्राप्त की गई जिसमें उनके द्वारा टिप्पणी अंकित कर कथन किया कि कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार उक्त प्रकरण की मूल पत्रावली प्रभारी अधिकारी अभिलेखालय अनुभाग से प्राप्त सूचना अनुसार जाया हो चुकी है। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश पूर्णतया विधिसम्मत है। अपचारी कर्मचारी को जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिये जाने के बावजूद भी कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। जांच अधिकारी द्वारा अपचारी कार्मिक को बचाव का पर्याप्त युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त ही अपनी जांच रिपोर्ट प्रेषित की है। अनुशासनिक अधिकारी ने अपने आदेश में जांच रिपोर्ट की प्रतियां अपचारी कार्मिक को उपलब्ध कराया जाना तथा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया जाना अंकित किया है।

उन्होंने यह भी टिप्पणी की है कि जांच अधिकारी द्वारा सरकारी पक्ष की ओर से प्रस्तुत होने वाले गवाहों की सूची एवं दस्तावेज की सूची उपलब्ध कराये जाने अथवा नहीं कराये जाने की पुष्टि मूल पत्रावली जाया होने से पुष्टि नहीं की जा सकती है। प्रस्तुत निर्णय में वर्णित तथ्यों के अनुसार अपीलांट की व्यक्तिगत सुनवाई की गई एवं व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत लिखित कथन पर विचार कर निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट ने अपने लिखित कथन में अपनी स्वयं की व परिवार के सदस्यों की अस्वस्थता होने के कारण ड्यूटी से अनुपस्थित रहना प्रकट किया गया था। अपीलांट द्वारा स्वयं अनुपस्थित रहना स्वीकार किये जाने से पारित निर्णय उचित एवं तथ्यों के अनुसार है। अपचारी कर्मचारी द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही की पत्रावली जाया हो जाने से कार्यवाही की जानकारी अब नहीं हो पाने के कारण कल्पित एवं मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर अवधि बाधित अपील प्रस्तुत की गई है जो निरस्तनीय है।

उन्होंने जवाब में यह भी कथन किया कि अपीलार्थी श्री रामचन्द्र कोली क0लि0 तहसील कार्यालय बनेड़ा जिला भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 21–6–1997 से 27–9–1997 कुल 141 दिन बिना अवकाश स्वीकृत कराये जानबूझकर कर्तव्य से अनुपस्थित रहने तथा अपने कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही के फलस्वरूप जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर अपचारी कार्मिक के विरूद्ध आदेश दिनांक 20–6–2000 से आरोप सिद्ध होने से अपचारी कार्मिक श्री कोली की पूर्व की सेवाएं जब्त (फोरफिट) की जाकर दण्ड से दण्डित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा बिना अवकाश स्वीकृत कराये 141 दिन स्वेच्छा से अनुपस्थित रहकर अपने पदीय कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतते हुए कर्तव्य का निर्वहन नहीं किये जाने से जिला कलक्टर भीलवाडा द्वारा दिया गया दण्ड नियमानुसार सही है। परिसीमा अधिक की धारा 05 अनुशासनिक कार्यवाही

में प्रभावी नहीं है। राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 25 में परिसीमा हेतु विशेष उपबन्ध उपलब्ध है। शास्ती लगाने वाले आदेश से 3 माह की अवधि में ही अपील सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 25 के अनुसार प्रस्तुत की जा सकती है। अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने हेतु विलम्ब के लिए पर्याप्त कारण एवं विशिष्टीकरण स्पष्ट नहीं किया गया है। अपीलार्थी की मानसिकता अपीलार्थी द्वारा धारा 05 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र दिनांक 2–2–2017 से भी स्पष्ट होती है कि अपीलार्थी आधारहीन एवं कल्पित तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत किये जाने से अपीलांट की अपील निरस्तनीय है।

मैंने अपचारी कर्मचारी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक टिप्पणी व टिप्पणी के साथ उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया गया जिससे स्पष्ट है कि जिला कलक्टर, भीलवाड़ा कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार उक्त प्रकरण की मूल पत्रावली प्रभारी अधिकारी अभिलेखालय अनुभाग से प्राप्त सूचना अनुसार जाया हो चुकी है जिससे मूल पत्रावली का अवलोकन नहीं किया जा सका है। अपचारी कर्मचारी को जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के द्वारा दिनांक 20–6–2000 के आदेश से अपचारी कर्मचारी की सेवाएं जब्त (फोरफिट) करने के आदेश पारित किये थे। अपचारी कर्मचारी द्वारा उक्त आदेश के जारी होने के लगभग 16 साल बाद अपील प्रस्तुत की है। साथ ही इतनी अवधि के विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण भी दर्शित नहीं किया गया। अपचारी कर्मचारी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान केवल अपील में उल्लेखित तथ्यों की ही ताईद की है उसके समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है जिससे कि यह सिद्ध हो सके कि अपचारी कर्मचारी द्वारा स्वास्थ्य खराब रहने के कारण 141 दिवस अवकाश पर रहे है। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा तत्समय आदेश जारी करने से पूर्व अपचारी कर्मचारी को पर्याप्त व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था। उसके उपरान्त भी अपचारी कर्मचारी द्वारा उपस्थित होकर कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। जांच अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में अपचारी कर्मचारी को बिना अवकाश स्वीकृत कराये जानबूझकर कर्तव्य से अनुपस्थित रहने तथा अपने कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही बरतने के कारण आरोप को पूर्णतया सिद्ध होना माना है। अपचारी कर्मचारी द्वारा जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के समक्ष अनुपस्थित अवधि के मामले में कोई साक्ष्य अथवा प्रमाण प्रस्तुत नहीं करने एवं प्रकरण में रूचि नहीं रखने तथा नियत पेशियों पर उपस्थित नहीं होने के कारण जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा एक पक्षिय कार्यवाही कर दण्डादेश पारित किया है। अपचारी कर्मचारी द्वारा जिला कार्यालय भीलवाड़ा में मूल पत्रावली जाया हो जाने के कारण इसका फायदा उठाते हुए इतने विलम्ब पश्चात अपील पेश की है

जिसका कोई औचित्य नहीं है। अपचारी कर्मचारी पर स्वेच्छा से अपनी ड्यूटी पर अनुपस्थित रहने का आरोप पूर्णतया सिद्ध होने के कारण जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश क्रमांक एफ1–14(2)(18)स्था0/97 दिनांक 20–6–2000 से अपचारी कार्मिक श्री रामचन्द्र कोली की पूर्व की सेवाएं जब्त (फोरफिट) की जाकर दण्ड से दण्डित किया गया है। उपरोक्त विवेचन के आलोक में अनुशासनिक अधिकारी द्वारा पारित दण्डादेश से सहमति व्यक्त करते हुए पारित दण्डादेश को यथावत रखा जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपचारी कर्मचारी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश क्रमांक एफ1–14(2)(18)स्था0/97 दिनांक 20–6–2000 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

(हनुमान सहाय मीना),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर